



SITAPUR POLICE

“सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा”



प्रेस नोट-जनपद सीतापुर

मिशन शक्ति फेज-6.0 के अंतर्गत सीतापुर पुलिस का विशेष कदम
महिलाओं/बालिकाओं व पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए
आयोजित हुआ विधिक प्रशिक्षण सत्र

सशक्त नारी, सुरक्षित समाज — परिवार की मजबूती, विकास की नींव

दिनांक 18.10.2026

माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना “मिशन शक्ति अभियान फेज-6.0 के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में जनपद की पुलिस द्वारा महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु निरंतर अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम आज दिनांक 18.10.2026 को जनपद सीतापुर में 'मिशन शक्ति' फेज-6.0 अभियान के तहत थाना खैराबाद क्षेत्रान्तर्गत स्थित भूमिजा हॉल में आयोजित कार्यक्रम महिला सुरक्षा, संरक्षण एवं सशक्तिकरण से जुड़े पारिवारिक कानूनों और विशेष विधिक प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया, जिसमें **गरिमामयी उपस्थिति-**

मुख्य अतिथी- माननीय सुश्री मंजुला सरकार (प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सीतापुर)

विशिष्ट अतिथि:-

- श्री आलोक यादव (सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), सीतापुर)
- श्रीमती आभा पाल (अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सीतापुर)

- डॉ. अंजलि गुप्ता (नूर मंजिल, मनोवैज्ञानिक सहायता केंद्र, लखनऊ)
- आली प्रवक्ता (जनजागृति एवं परामर्श)

वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति:- कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री अंकुर अग्रवाल, अपर पुलिस अधीक्षक श्री आलोक सिंह, सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय यादव, क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती नेहा त्रिपाठी, महिला थानाध्यक्ष श्रीमती मधु यादव, MSK (महिला शक्ति केंद्र) टीम प्रभारी एवं जनपद के अन्य वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में चर्चा के मुख्य बिंदु व महत्वपूर्ण विधिक जानकारीयां

1. DLSA एवं LADCS के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता: कार्यक्रम के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) की कार्यप्रणाली एवं LADCS (Legal Aid Defense Counsel System) योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि किसी भी पीड़ित महिला या नागरिक को कानूनी लड़ाई में अर्थिक तंगी बाधा न बने, इसके लिए रिमांड स्तर से लेकर जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय (High Court) एवं उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) तक निःशुल्क कानूनी मदद (Free Legal Aid) प्रदान करने की व्यवस्था उपलब्ध है।
2. पारिवारिक मूल्यों का संरक्षण व काउंसलिंग: समाज में छोटी-छोटी बातों पर टूटते परिवारों के विषय पर गहन विचार-विमर्श किया गया। उपस्थित जनसमुदाय को जागरूक किया गया कि परिवार हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। आपसी सामंजस्य, संवाद एवं विधिक परामर्श के माध्यम से पारिवारिक विवादों को सुलझाने पर जोर दिया गया।
3. महिला पुलिसकर्मियों हेतु समुचित मार्गदर्शन: प्रशिक्षण सत्र के माध्यम से महिला पुलिसकर्मियों को कानूनी प्रावधानों से लैस किया गया ताकि वे थानों पर आने वाली पीड़ित महिलाओं को उनके अधिकारों, विधिक संरक्षण एवं DLSA के माध्यम से मिलने वाली सहायता के संबंध में सही, सटीक और प्रभावी मार्गदर्शन प्रदान कर सकें।

उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं का सम्मान:- विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं, छात्राओं तथा उत्कृष्ट सेवा देने वाली महिला पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।







